



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2944]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941

No. 2944]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3216(अ).—केंद्रीय सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (2) तथा उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री विनय कुमार सक्सेना, 9, प्रेरणा कुटीर बंगला, सारथी होटल के निकट, वास्त्रनगर, अहमदाबाद - 53 को देश के पश्चिमी अंचल का प्रतिनिधित्व करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त आयोग के अध्यक्ष भी होंगे।

[फा.सं.ए-43013/2/2019-केवीआई-(II)(भाग-1)]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019

S.O. 3216(E).—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri Vinai Kumar Saxena, 9, Perna Kutir Bungalows, near Sarathi Hotel, Vastranagar, Ahmedabad-53 as member of the Khadi and Village Industries Commission representing Western Zone of the Country who shall be the Chairman of the said Commission for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-43013/2/2019-KVI (II) (Part-1)]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.